जनपद - संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनॉक 04.09.2023

आज दिनांक 04.09.2023 को अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जोन, गोरखपुर ***श्री अखिल कुमार*** पुलिस महानिरीक्षक बस्ती परिक्षेत्र, बस्ती ***श्री आर0के0 भारद्वाज*** के निर्देशन, पुलिस अधीक्षक जनपद संतकबीरनगर ***श्री सत्यजीत गुप्ता*** के मार्गदर्शन में जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में संतकबीरनगर पुलिस द्वारा किये गये सराहनीय कार्य–

अवैध शराब निष्कर्षण, बिक्री के खिलाफ की गई कार्यवाही के अन्तर्गत 10 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, अभियुक्त गिरफ्तार

थाना धनघटा पुलिस द्वारा 10 अवैध कच्ची शराब के साथ 01 अभियुक्त नाम पता बलवान पुत्र मिठाईलाल निवासी धनघटा थाना धनघटा जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना धनघटा पर मु0अ0सं0 592/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- हे0कां0 दिनेश यादव, कां0 संतोष।

पीआरवी आफ द डे

***पीआरवी 3311 द्वारा दो पक्षों के विवाद को कराया गया शांत व विवाद में घायल 02 महिलाओं को भेजवाया गया अस्पताल*–** पीआरवी 3311 को थाना धनघटा क्षेत्रान्तर्गत छपरा पूर्वी से इवेन्ट संख्या 10938 से कालर द्वारा किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद / मारपीट होने से 02 महिलाओं के घायल होने के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर 02 मिनट में पहुँचकर विवाद को शांत कराकर विवाद में घायल महिलाओं को इलाज हेतु एम्बुलेंस 108 की सहायता से सीएचसी मलौली भेजवाया गया तथा घटना के सम्बन्ध में थाना धनघटा को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर विवाद को शांत कराकर विवाद में घायल महिलाओं को अस्पताल भेजवाकर उनकी जान बचाई गई, जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गई।

पीआरवी स्टाफ – आ0 बसंत चौहान,हो0चा0 प्रमोद कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 49 वाहनों से 36,500 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया गया

आज दिनांक 04.09.2023 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 49 वाहनों से 36,500 रु0 सम्मन शुल्क का चालान किया।